(15)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 767920

259, 260

JUL 2013

90/309

- 1 -

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि– रू0 5,00,000/--

बाजारू मूल्य – रू0 1,06,200/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प– रू0 25,000 /–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज
3. ग्राम – बेली
4. सम्पत्ति का विवरण– भूमि खसरा संख्या 259ख रकबा 0.013 हेक्टेअर व खसरा संख्या 260 रकबा 0.164 हेक्टेअर इसप्रकार कुल रकबा 0.177 हेक्टेयर का 2/5 भाग यानी विकीत रकबा 0.0708 हे0 स्थित ग्राम–बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।
5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

श्यामकुमारी

6603 18/12/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

.त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 767919

JUL 2013

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.0708 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति – मोहनलालगंज से गोसांईगंज रोड से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित
8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि
9. पेड़ों की स्थिति – नहीं
10. बोरिंग / कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है।

श्याम कुमारी

क्रम सं. 6604 1012713

विक्रय की तिथि............

क्रय करने का प्रयोजन............

क्रेता का नाम व पूरा पता............

स्टाम्प की धनराशि............

[illegible] लाल [illegible] स्टाम्प विक्रेता [illegible]

लाइसेंस की तारीख [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 767921

JUL 2013

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्यामकुमारी पत्नी धनीराम वर्मा निवासिनी–बाजार मध्य, वार्ड गोसाईगंज, जिला लखनऊ।	:	पर्ल इन्फ्राइस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 आफिस–37, एलगिन रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रदेव सिंह निवासी– प्रथम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– व्यापार

श्याम कुमारी

क्र० 6602

बिक्री की तिथि 18/12/13

क्रय करने का प्रयोजन फर्म [illegible]

क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

संगम लाल पाण्डेय स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस 23

[illegible] कलेक्ट्रेट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO
AD 354180
26 DEC 2012
TRY. LKO.

यह विक्रय विलेख **श्यामकुमारी पत्नी धनीराम वर्मा निवासिनी बाजार मध्य, वार्ड गोसाईगंज, जिला लखनऊ** जिन्हें आगे **विक्रेता** कहा गया है एवम् **पर्ल इन्फ्राइस्टेट प्रा0 लि0 रजि0 आफिस–37, एलगिन रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रदेव सिंह निवासी–प्रथम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ**जिन्हें आगे **क्रेता** कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। विक्रेता एवं क्रेता शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण सम्मिलित है।

यह कि भूमि खसरा संख्या 259ख रकबा 0.013 हेक्टेअर व खसरा संख्या 260 रकबा 0.164 हेक्टेअर इसप्रकार कुल रकबा 0.177 हेक्टेयर का 2/5 भाग यानी विक्रीत रकबा 0.0708 हेक्टेयर स्थित ग्राम–बेली, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का

श्याम कुमारी

म संख्या 5826

ाम्प विक्रय की तिथि..........

ाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

ाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..........

ाम्प की धनराशि..........

विजय कुमार शुक्ला, स्टाम्प विक्रेता

ला० नं० 141, निबन्धन भवन

लाइसेंस की अवधि 31-3-2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 913254

03 JUL 2013

मालिक, कामिल व काबिज है तथा सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी कम संख्या 00135 के अनुसार भूमि विकेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

विकेता को पैसों की सख्त आवश्यकता है इसलिए विकेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विकय विलेख द्वारा विकय कर रहा है विकेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, भूदान की भूमि नहीं है। यह कि विकेता यह घोषित करता ह कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विकेता ने उसे इस विकय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विकेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य

श्याम कुमारी

8122

18/7/15

प्रमा

विक्रेता

262

3-20

प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका को भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य **रू0 5,00,000/– (रूपया पांच लाख मात्र)** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया हे एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहॉ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेंता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

श्याम कुमारी

विक्रय पत्र

500,000.00 /	**106,200.00**	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री श्याम कुमारी श्याम कुमारी

पत्नी श्री धनीराम वर्मा

व्यवसाय गृहिणी

निवासी स्थायी बाजार मध्य गोसाईगंज लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/7/2013 समय 4:45PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया। श्याम कुमारी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.श्रीवास्तव (प्रभारी)

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

19/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री श्याम कुमारी श्याम कुमारी
पत्नी श्री धनीराम वर्मा
पेशा गृहिणी
निवासी बाजार मध्य गोसाईगंज लखनऊ

क्रेता

पर्ल इन्फ्रा.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.संजय सिंह
पुत्री श्री स्व.इन्द्रदेव सिंह
पेशा व्यापार
निवासी विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री कमलेश सिंह

पुत्र श्री उमाशंकर सिंह

पेशा व्यापार

निवासी चाँद सराँय गोसाईगंज लखनऊ

व श्री धनीराम

पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद

पेशा व्यापार

निवासी गोसाईगंज लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

विक्रेता का पहचान पत्र स0-बीएक्सक्यू2252773

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.श्रीवास्तव (प्रभारी)

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

19/7/2013

यह कि विक्रेताा यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बेली विशिष्ठ ग्राम अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट **रू0 15,00,000/–** प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि **0.0708 हे0** की मालियत **रू0 1,06,200/–** होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 **25,000** /–के जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नही है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने स्वस्थचित मन से बिना किसी जोर दबाव के क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 259ख व 260

उत्तर	: खसरा सं–261
दक्षिण	: खसरा सं–237
पूरब	: खसरा सं–258
पश्चिम	: खसरा सं–237

श्याम कुमारी

विक्रेता

Registration No.: 9166

Year : 2,013

Book No. : 1

0101 श्याम कुमारी

धनीराम वर्मा

बाजार मध्य गोसाईगंज लखनऊ

गृहिणी

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विकेता को रू0 5,00,000/– द्वारा चेक संख्या– 771481 दिनांकित 05-08-2013 जारीकर्ता बैंक आई0एन0जी0 वैश्य बैंक लि0, लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विकेता को कुल विकय मूल्य रू0 5,00,000/– (रूपया पांच लाख मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विकेता स्वीकार करता है तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊः

दिनांक :19.07.2013

गवाह :

1. कमलेश सिंह पुत्र बहादुर सिंह
पता - चौदसराय गोसाईगंज
लखनऊ -

श्याम कुमारी

विकेता

2. धनीराम पुत्र राजा प्रसाद
पता - गोसाईगंज लखनऊ

केता

टाईपकर्ता

(दीपक उपाध्याय)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

क्रेता

Registration No. : 9166 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 पर्ल इन्फ्रा.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.संजय सिंह

स्व.इन्द्रदेव सिंह

विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ

व्यापार

ग्राम - बेल्हा   परगना - मोहनलालगंज   तहसील - मोहनलालगंज

खसरा नं० - 259(ब, 260   विक्रीत - रकबा - .0708 हे०

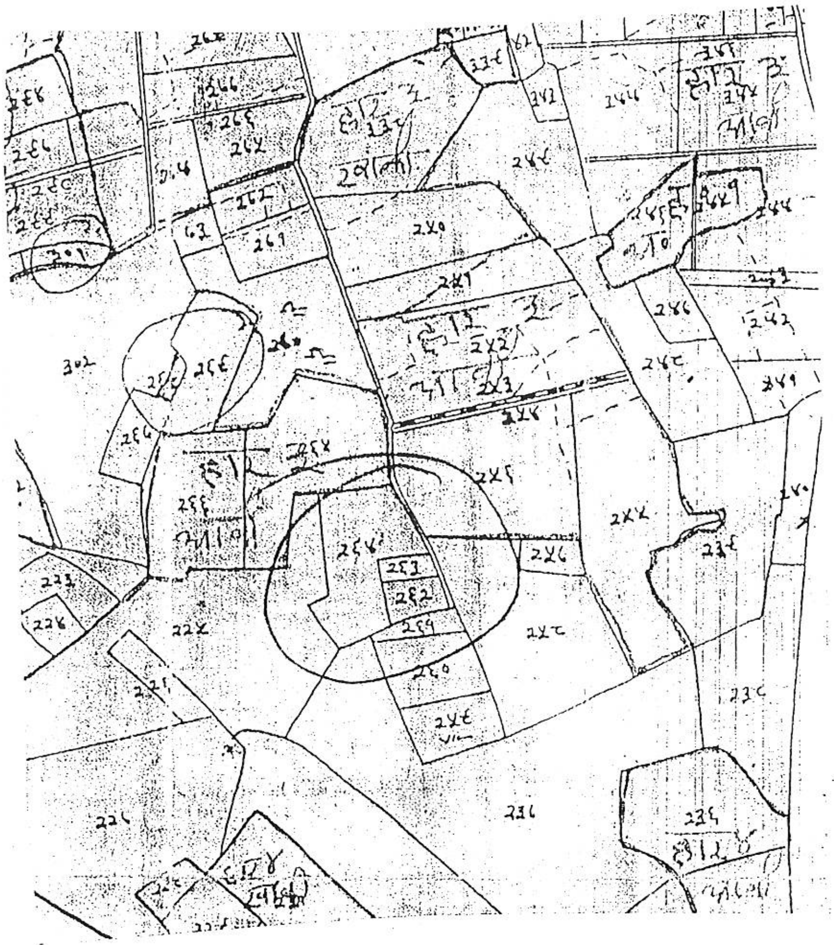

विक्रेता
श्यामकुमारी

क्रेता

आज दिनांक **19/07/2013** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **3925**

पृष्ठ सं. **161** से **178** पर कमांक **9166**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.श्रीवास्तव (प्रभारी)

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

19/7/2013